

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2022/४७

भोपाल, दिनांक 14/01/2022

—: आदेश :—

प्रदेश में कोविड-19 की जांच की सुविधा को सुदृढ़ीकरण करने एवं समस्त जांचों के सेम्पल कलेक्शन, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग की सुगमता के लिए राज्य स्तर पर कोविड-19 टेस्टिंग मॉनिटरिंग सेल का गठन एतद्वारा किया जाता है एवं कोविड-19 जांच मॉनिटरिंग सेल के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

1. प्रदेश में जिलेवार प्रतिदिन कोविड-19 सेम्पल कलेक्शन की जानकारी प्राप्त करना।
2. प्रदेश में कोविड-19 जांच करने वाली लैबों की मॉनिटरिंग एवं टेस्टिंग डाटा संधारण करना।
3. प्रदेश की शासकीय कोविड-19 जांच लैबों में किट्स, कन्ज्यूमेबल के स्टॉक की जानकारी का संधारण करना।
4. प्रदेश में जिलेवार लक्ष्य के विरुद्ध की गई जांचों का विशलेषण करना।
5. जिलों से एकत्रित सैम्पलों को लैब तक पहुंचने में लगे समय तथा लैब में जांचकर, जांच रिपोर्ट भेजने में लगे समय (TAT) की मॉनिटरिंग करना।
6. शासकीय एवं आउटसोर्स लैबों से कोविड-19 जांच रिपोर्ट 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराने की मॉनिटरिंग करना।
7. जिलों के द्वारा शासकीय एवं आउटसोर्स लैबों में भेजे गये सैम्पलों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग एवं रिकार्ड संधारण करना।
8. राज्य स्तर पर प्रतिदिन डेली डैश बोर्ड तैयार करना।
9. होल जिनोम सिकवेन्सिंग हेतु जिलों द्वारा भेजे गये सैम्पलों की मॉनिटरिंग।

उपरोक्त मॉनिटरिंग सेल के निम्नलिखित सदस्य हैं। उनके कार्यदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

1. डॉ. वीणा सिन्हा, अपर संचालक, आई.डी.एस.पी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
 - कोविड-19 जांच मॉनिटरिंग सेल द्वारा किये गये कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा।
2. डॉ. रुबी खान, उप संचालक, लैब सर्विसेस, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
 - मॉनिटरिंग सेल द्वारा समस्त शासकीय, भारत शासन की लैबों में सेम्पल कलेक्शन, रिपोर्टिंग, किट्स एवं कन्ज्यूमेबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिदिन लैब प्रभारियों से समन्वय स्थापित करना।
 - जिलों में पॉजिटिविटी दर अनुसार कोविड-19 जांच लक्ष्य के निर्धारण हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
 - जिलों से कोविड-19 जांच सैम्पलों की शासकीय एवं आउटसोर्स लैबों से मैपिंग एवं समन्वय स्थापित करना।
3. डॉ. नितिन शिंदे, स्टेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई.डी.एस.पी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, म.प्र.
 - प्रदेश की समस्त शासकीय एवं भारत शासन की लैबों से कोविड-19 जांच हेतु रिपोर्टिंग एवं समन्वय करना।

4. डॉ. सौरभ, एम.डी., पी.एस.एम., आई.डी.एस.पी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 - प्रदेश में कार्यरत निजी प्रयोगशालाओं से कोविड-19 जांच हेतु रिपोर्टिंग एवं समन्वय स्थापित करना।
5. डॉ. आंचल, एम.डी., पी.एस.एम., आई.डी.एस.पी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 - प्रदेश में की जाने वाली रेपिड जांच एवं अन्य लैबों जैसे—~~जूनम छांज~~ की रिपोर्टिंग एवं समन्वय स्थापित करना। Trune Nat
6. श्री विनित तिवारी, स्टेट डाटामेनेजर, आई.डी.एस.पी., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
 - समस्त संभागीय ओ.आई.सी. के साथ समन्वय एवं रिपोर्ट संकलन करना।
7. संभागीय ओ.आई.सी., आई.डी.एस.पी., मध्यप्रदेश।
 - प्रदेश में जिलेवार प्रतिदिन सेम्पल कलेक्शन की जानकारी।
 - लैब से प्राप्त जांच रिपोर्टों का संकलन एवं संधारण करना।
 - संभाग के जिलों से कोविड-19 जांच के संबंध में समन्वय स्थापित करना।
8. डॉ. सौम्या, नोडल अधिकारी, कोविड टेस्टिंग, प्रतिनिधि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 - समस्त शासकीय लैबों में कोविड-19 की जांचों की मॉनिटरिंग तथा किट्स एवं कन्ज्यूमेबल की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।
9. सुश्री मॉलश्री सलाहाकार, लैब मॉनिटरिंग, CHAI.
 - प्रतिदिन पोर्टल से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण एवं आगामी रणनीति बनाने में अभिमत।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू किया जाता है।

(डॉ. सुदाम खाड़े)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14/01/2022

पृ.क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2022/78

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि., भोपाल।
8. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
13. समस्त निजी अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, मध्यप्रदेश।
14. प्रभारी एम.आई.एस. डिवीजन की ओर विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश